न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34 / 2019
दायरी दिनांक 28.05.2019

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल, खाना, रामप्रसाद, महादेव पिता सुरजमल जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. देवीदास पिता हजारी दास, दुर्गा पुत्री हजारी दास, शान्तिबाई धर्मपत्नी हजारीदास बैरागी निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. भेरू पिता गांगा जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. सांवरा पिता मागु जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. इन्द्रा, भेरी पिता लक्ष्मण, बाली बेवा लक्ष्मण जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. लादु पिता रामसुख जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. मांगीलाल पिता रामसुख जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8. रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
9. नाराण पिता हजारी जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 11.11.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रलायता में स्थित आराजी संख्या 1154 / 610 रकबा 10 बिस्वा भूमि सुरजमल पिता छोगा जाट को

आवंटित हुई थी जो वर्तमान में विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 रामलाल, खाना, रामप्रसाद, महादेव पिता सुरजमल जाट निवासी रलायता के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1161/610 रकबा 1 बीघा भूमि हजारी दास पिता गोकलदास को आवंटित हुई थी जो वर्तमान में विरासत से अप्रार्थी संख्या 2 देवीदास पिता हजारी दास, दुर्गा पुत्री हजारी दास, शान्तिबाई धर्मपत्नी हजारीदास बैरागी निवासी रलायता के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1163/610 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 3 भेरू पिता गांगा जाट निवासी रलायता के नाम, आराजी संख्या 1222/610 रकबा 02 बीघा अप्रार्थी संख्या 4 सांवरलाल पिता मांगु जाट निवासी रलायता के नाम आवंटन होकर दर्ज रिकोर्ड है। आराजी नम्बर 1232/610 रकबा 10 बिस्वा लक्ष्मण पिता नाराण जाट को आवंटित हुई थी जो वर्तमान में विरासत से अप्रार्थी संख्या 5 इन्द्रा, भेरी पिता लक्ष्मण, बाली बेवा लक्ष्मण जाट निवासी रलायता के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1233/610 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 6 लादु पिता रामसुख जाट, आराजी नम्बर 1234/610 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 7 मांगीलाल पिता रामसुख जाट, आराजी नम्बर 1237/610 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 8 रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाट, आराजी नम्बर 1219/610 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 9 नाराण पिता हजारी जाट निवासी रलायता के नाम आवंटन होकर दर्ज रिकोर्ड है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 (आवंटिया) को भूमि ग्राम रलायता की आराजी नम्बर 610 में आवंटित की गई थी जिसकी वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम नही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार DILRMP के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसके लिये नामान्तरकरण पंजिका में चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार मौका निरीक्षण करने पर जाहिर आया कि अप्रार्थीगण 1 से 9 को आवंटित मूल आराजी नम्बर 610 के बजाय मूल आराजी नम्बर 611 में कब्जा दिया गया जिसके अनुसार ही अप्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। ग्राम रलायता के मूल आराजी नम्बर 610 जिसमें भूमि आवंटित की गई व आराजी नम्बर 611 जिसमें अप्रार्थीगण को कब्जा दिया गया दोनो आपस में सटी हुई होकर किस्म समान है। अप्रार्थीगण को कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करने व राजस्व रिकोर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने पर राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नही है और न ही अप्रार्थीगण का हित प्रभावित होता है। अतः ग्राम रलायता की आराजी नम्बर 1154/610, 1161/610, 1163/610, 1222/610, 1232/610, 1233/610, 1234/610, 1237/610 एवं 1219/610 की तरमीम अप्रार्थीगण के कब्जे (संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस) अनुसार आराजी नम्बर 611 मे करने व राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक परिवर्तन करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र करवायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा उपस्थित होकर

इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होगी।

पत्रावली दिनांक 07.11.2019 को बहस हेतु पेश हुयी। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा यह निवेदन किया गया कि ग्राम रलायता पटवार हलका रलायता तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 610 (साबिक) में से विभिन्न आवंटियों को वर्ष 1989 एवं 2004 में प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी, परन्तु विभिन्न आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किये जाते समय सहवन से कब्जा आराजी संख्या 610 एवं 611 लगते हुये आराजी संख्या है जिनके बीच की विभाजन रेखा नक्शे में स्पष्ट नही होने से सहवन से तत्समय हलका पटवारी द्वारा ऐसा कर दिया गया। पेरोकार सरकार द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में समस्त आवंटी अथवा उनके वारिसान उन्हे सुपूर्द की गयी खसरा संख्या 611 की भूमि पर काबिज काश्त है। पेरोकार सरकार द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूंकि समस्त आवंटी अथवा उनके वारिसान न्यायालय हा0जा0 के समक्ष उपस्थित है एवं उन्होने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् निवेदन भी किया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी संख्या 610 के आवंटियों का तरमीम कब्जेनुसार आराजी संख्या 611 में किये जाने के आदेश किये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा तहसीलदार माण्डलगढ़ के कथन से सहमति व्यक्त की जाकर निवेदन किया गया कि यदि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होगी।

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट, प्रश्नगत आराजियात की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिया एवं कब्जा सुपूर्दगी के नक्श ट्रेस का अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि ग्राम रलायता पटवार हलका रलायता तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 610 मे से वर्ष 1989 में सूरजमल पिता छोगा जाट, हजारीदास पिता गोकलदास, भैरू पिता गांगा जाट (साकिन देह) को भूमि आवंटन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004 में सांवरा पिता मांगू जाट, लक्ष्मण पिता नाराण जाट, लादू पिता रामसुख, मांगीलाल पिता रामसुख जाट, रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाट, नाराण पिता हजारी जाट को आराजी संख्या 610 में भूमि आवंटन किया गया परन्तु समस्त मूल आवंटियो को कब्जा आराजी संख्या 610 के बजाय 611 में दिया गया एवं वर्तमान में उक्त कब्जो की तरमीम भी राजस्व नक्शे में नही की गयी है। चूंकि आवंटन आराजी संख्या 610 में से किया गया था परन्तु राजस्वकर्मियों द्वारा सहवन से समस्त आवंटियों को आराजी संख्या 610 के स्थान पर

आराजी संख्या 611 में कब्जा दिया गया। चूकि आवंटन आराजी संख्या 610 ग्राम रलायता पटवार हलका रलायता में से किया गया था अतः आवंटियों को कब्जा भी आराजी संख्या 610 में ही दिया जाना आवश्यक एवं उचित था परन्तु राजस्वकमियों द्वारा ऐसा नही किया गया। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131–136 वार्षिक रजिस्टरों के अभिलेखन एवं संधारण में हुयी त्रुटियों को दुरूस्त किये जाने से सम्बन्धित है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण आवंटित आराजी संख्या एवं उक्त से पृथक किसी अन्य आराजी संख्या में कब्जा दिये जाने की त्रुटि के सुधार से सम्बन्धित है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131–136 के अंतर्गत पूर्ण रूप से परिभाषित नही होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 द्वारा तहसीलदार माण्डलगढ़ खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.1.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

(त्रिलोक चंद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़